IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, November 2026
Impact Factor: 8.2

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत लाइसेंसधारी अफीम कृषकों की विधिक एवं प्रशासनिक समस्याएँ: दक्षिणी राजस्थान के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

ईश्वर आहीर
शोधार्थी, विधि अध्ययन
डॉ. ओम प्रकाश सोमकुंवर
शोध निर्देशक, विधि अध्ययन
संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान

सारांश (Abstract)

भारत में अफीम पोस्त की खेती एक नियंत्रित एवं लाइसेंस-आधारित कृषि गतिविधि है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाती है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अफीम की खेती अनेक कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी हुई है। तथापि, इस कृषि गतिविधि का संचालन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन होता है। अधिनियम की धारा 8 कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि धारा 29 अपराध के दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान करती है। इन प्रावधानों का प्रभाव केवल अवैध मादक पदार्थों के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइसेंसधारी कृषकों के लिए भी अनुपालन, प्रशासनिक निगरानी तथा विधिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रश्न उत्पन्न कर सकता है।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य धारा 8 एवं धारा 29 के विधिक स्वरूप का आलोचनात्मक परीक्षण करना तथा दक्षिणी राजस्थान के अफीम कृषकों के संदर्भ में इनके क्रियान्वयन से संबंधित संभावित विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधिक अनुसंधान पद्धति अपनाई गई है। इसके लिए अधिनियम, एनडीपीएस नियम, सरकारी नीतियों, न्यायिक निर्णयों तथा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण और वैध कृषकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए पारदर्शी लाइसेंस व्यवस्था, स्पष्ट प्रशासनिक दिशा-निर्देश, निष्पक्ष जाँच तथा प्रभावी विधिक सहायता आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: एनडीपीएस अधिनियम, 1985; अफीम कृषक; धारा 8; धारा 29; लाइसेंसधारी खेती; दक्षिणी राजस्थान; विधिक संरक्षण।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/568

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, November 2026
Impact Factor: 8.2

1. प्रस्तावना (Introduction)

मादक पदार्थों का अवैध उत्पादन, व्यापार एवं वितरण विश्व के अनेक देशों के समक्ष एक गंभीर विधिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक चुनौती है। भारत में इस समस्या के नियंत्रण के लिए संसद द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य मादक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करना, अवैध तस्करी को रोकना तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना है।

अधिनियम का स्वरूप कठोर है, किंतु यह सभी प्रकार की अफीम पोस्त की खेती को बिना किसी अपवाद के निषिद्ध नहीं करता। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए तथा अधिनियम, नियमों एवं सरकारी आदेशों द्वारा निर्धारित तरीके और सीमा के भीतर कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। इसी वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत में अफीम पोस्त की लाइसेंसधारी खेती की जाती है।

राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अफीम की खेती लंबे समय से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में इस विषय का विशेष महत्त्व है। इन क्षेत्रों के पात्र कृषक निर्धारित सरकारी शर्तों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करके अफीम पोस्त की खेती करते हैं। इस व्यवस्था में लाइसेंस की पात्रता, निर्धारित क्षेत्रफल, उत्पादन की शर्तें तथा उपज का अधिकृत सरकारी एजेंसी को समर्पण जैसे पहलू महत्त्वपूर्ण हैं।

कृषकों के लिए चुनौती तब उत्पन्न होती है जब उन्हें खेती के दौरान निर्धारित शर्तों, प्रशासनिक निर्देशों और वैधानिक दायित्वों का पालन करना होता है। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, निर्धारित क्षेत्र से अधिक खेती, उपज के समर्पण से संबंधित विवाद अथवा खेत और भूमि पर वास्तविक नियंत्रण से जुड़े प्रश्न विधिक कार्यवाही का आधार बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त, धारा 29 के अंतर्गत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप भी गंभीर विधिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

इस संदर्भ में आवश्यक है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रवर्तन को केवल दंडात्मक दृष्टिकोण से न देखकर वैध कृषकों के अधिकारों, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा आजीविका संबंधी हितों के साथ जोड़कर समझा जाए। प्रस्तुत अध्ययन इसी विधिक एवं सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण करता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

2. अध्ययन की समस्या एवं शोध-अंतराल (Statement of the Problem and Research Gap)

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अफीम पोस्त की खेती का नियमन एक विशेष लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, वार्षिक लाइसेंस नीति तथा संबंधित नियमों के अनुसार कृषकों की पात्रता निर्धारित होती है। अतः लाइसेंसधारी कृषक की स्थिति सामान्य कृषि गतिविधि करने वाले कृषक से अलग होती है, क्योंकि उसके उत्पादन और खेती पर विशेष वैधानिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण लागू होते हैं।

इस व्यवस्था के बावजूद कृषकों के समक्ष लाइसेंस की शर्तों की व्याख्या, प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता, उत्पादन के मूल्यांकन, निर्धारित उपज के समर्पण तथा कथित उल्लंघनों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। किसी कृषक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ होने पर उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इन प्रभावों की वास्तविक सीमा निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण और प्रमाणित आँकड़ों की आवश्यकता है।

उपलब्ध विधिक ढाँचे के अध्ययन से यह आवश्यकता सामने आती है कि धारा 8 के अंतर्गत वैध एवं अवैध गतिविधियों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जाए तथा धारा 29 के प्रयोग में दुष्प्रेरण या षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों का प्रमाण सुनिश्चित किया जाए। दक्षिणी राजस्थान के कृषकों के संदर्भ में इन दोनों पहलुओं का संयुक्त विधिक विश्लेषण इस अध्ययन का प्रमुख शोध-अंतराल है।

3. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

प्रस्तुत शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 एवं धारा 29 का आलोचनात्मक विधिक विश्लेषण करना।
2. दक्षिणी राजस्थान के लाइसेंसधारी अफीम कृषकों के संदर्भ में इन प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. कृषकों के वैधानिक अधिकारों एवं आजीविका की सुरक्षा के लिए आवश्यक विधिक और नीतिगत सुधारों का सुझाव देना।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

4. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधिक अनुसंधान (Doctrinal and Analytical Legal Research) है। इसमें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, एनडीपीएस नियम, 1985, केंद्र सरकार की अफीम लाइसेंसिंग नीतियों, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के आधिकारिक दस्तावेजों तथा प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या, न्यायिक दृष्टिकोण का परीक्षण तथा लाइसेंसधारी अफीम कृषकों पर उनके संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का भौगोलिक संदर्भ दक्षिणी राजस्थान के पाँच जिले हैं—उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़।

यह लेख उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों तक सीमित है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण, किसान साक्षात्कार अथवा क्षेत्रीय आँकड़ों को वास्तविक शोध-परिणाम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. भारत में अफीम पोस्त की लाइसेंसधारी खेती का वैधानिक ढाँचा

भारत में अफीम पोस्त की खेती पूर्णतः अनियंत्रित कृषि गतिविधि नहीं है। इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 तथा एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 5 से 9 इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।

नियम 5 के अनुसार अफीम पोस्त की खेती केवल केंद्र सरकार की ओर से, उसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्रों में तथा नियम 8 के अंतर्गत जारी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार की जा सकती है। नियम 8 लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि नियम 9 के अनुसार लाइसेंस में खेती का क्षेत्रफल तथा संबंधित भूखंड निर्दिष्ट किए जाते हैं।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (Central Bureau of Narcotics—CBN) अफीम पोस्त की वैध खेती के लिए लाइसेंस जारी करने, खेती की निगरानी करने तथा उत्पादित अफीम के सरकारी उपार्जन की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइसेंस सामान्यतः निर्धारित फसल वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं और पात्रता वार्षिक सरकारी शर्तों के अनुसार निर्धारित होती है।

इस व्यवस्था से स्पष्ट है कि अफीम की खेती पर नियंत्रण का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि वैध उत्पादन को निर्धारित सीमाओं में रखकर उसका नियमन करना भी है। इसलिए लाइसेंसधारी कृषक के विरुद्ध किसी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

भी प्रकार की विधिक कार्यवाही में लाइसेंस की वास्तविक शर्तों, संबंधित अधिसूचना, भूमि अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित परीक्षण आवश्यक है।

6. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 का विधिक विश्लेषण

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 कुछ विशिष्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसमें अफीम पोस्त अथवा गांजा के पौधे की खेती तथा मादक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। तथापि, यह प्रतिबंध चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अधिनियम, नियमों अथवा आदेशों के अनुसार निर्धारित तरीके और सीमा में की जाने वाली गतिविधियों पर लागू नहीं होता।

इस प्रकार धारा 8 का अध्ययन करते समय उसके प्रतिबंधात्मक स्वरूप के साथ-साथ उसमें निहित वैधानिक अपवाद को भी समझना आवश्यक है। यदि कोई कृषक सक्षम प्राधिकारी से विधिवत लाइसेंस प्राप्त करके निर्धारित क्षेत्र में खेती करता है और लाइसेंस की शर्तों का पालन करता है, तो उसकी गतिविधि को केवल अफीम पोस्त की खेती होने के आधार पर अवैध नहीं कहा जा सकता।

इसके विपरीत, लाइसेंस की शर्तों से बाहर जाकर खेती करना, अनधिकृत क्षेत्र में उत्पादन करना अथवा अधिनियम और नियमों के विपरीत गतिविधि करना दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है। इसलिए किसी भी मामले में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि संबंधित कृषक के पास वैध लाइसेंस था या नहीं, लाइसेंस किस क्षेत्र और भूखंड के लिए जारी हुआ था तथा कथित गतिविधि लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप थी या नहीं।

धारा 8 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट एवं प्रमाण-आधारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। भूमि अभिलेख, लाइसेंस दस्तावेज, खेत का वास्तविक कब्जा, निर्धारित क्षेत्रफल और उत्पादन संबंधी रिकॉर्ड का परीक्षण निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए।

7. धारा 29: दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 29 दुष्प्रेरण (Abetment) तथा आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy) से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरित करता है अथवा ऐसे अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होता है, तो उसे

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

संबंधित अपराध के लिए निर्धारित दंड दिया जा सकता है। यह प्रावधान उस स्थिति में भी लागू हो सकता है जब षड्यंत्र के परिणामस्वरूप मुख्य अपराध वास्तव में संपन्न न हुआ हो।

धारा 29 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को भी उत्तरदायी बनाना है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन अथवा व्यापार में संलग्न न होते हुए भी अपराध की योजना, सहायता या षड्यंत्र में भाग लेते हैं। इस कारण यह प्रावधान मादक पदार्थों के संगठित अवैध व्यापार को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हालांकि, धारा 29 के अंतर्गत आरोप लगाने के लिए केवल परिचय, पारिवारिक संबंध, पड़ोसी होना अथवा किसी व्यक्ति के साथ सामान्य संपर्क होना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। अभियोजन को दुष्प्रेरण अथवा आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों को साक्ष्य के आधार पर स्थापित करना होता है। आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध उद्देश्य अथवा अवैध साधन से कार्य करने के समझौते का प्रश्न केंद्रीय महत्त्व रखता है।

दक्षिणी राजस्थान के कृषक समुदाय के संदर्भ में यह पहलू विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि कार्यों में पारिवारिक सहयोग, साझा भूमि, पड़ोसी किसानों के बीच श्रम का आदान-प्रदान तथा स्थानीय स्तर पर सामाजिक संपर्क सामान्य परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों को बिना पर्याप्त साक्ष्य के आपराधिक षड्यंत्र का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, ज्ञान, मंशा और कथित कृत्य का स्वतंत्र परीक्षण आवश्यक है।

8. न्यायिक दृष्टिकोण एवं प्रासंगिक निर्णय

एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या में न्यायालयों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। न्यायिक निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम के कठोर प्रावधानों का प्रयोग वैधानिक आवश्यकताओं और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए।

8.1. भेरू लाल बनाम राजस्थान राज्य (2002)

राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आए इस मामले में लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादित अफीम तथा कृषक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपज जमा करने के दायित्व पर विचार किया गया। निर्णय में इस बात को महत्त्व दिया गया कि अधिनियम की धारा 8 और एनडीपीएस नियमों के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप अफीम

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

पोस्त की खेती की अनुमति है। साथ ही, धारा 18 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को यह स्थापित करना आवश्यक है कि आरोपी ने अधिनियम, नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है।

यह निर्णय लाइसेंसधारी कृषकों के संदर्भ में वैधानिक अनुमति और लाइसेंस की शर्तों के पालन के महत्त्व को समझने में उपयोगी है।

8.2. गुमान सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2024)

राजस्थान उच्च न्यायालय ने *Guman Singh v. State of Rajasthan* (2024) में अफीम पोस्त की कथित अवैध खेती से संबंधित जमानत आवेदन पर विचार किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अफीम पोस्त की खेती से संबंधित आरोपों में धारा 8(b) तथा दंड संबंधी धारा 18 का परीक्षण आवश्यक है। निर्णय में यह भी विचार किया गया कि अफीम पोस्त की खेती के मामलों में धारा 37 के कठोर जमानत प्रतिबंध का लागू होना स्वतः मानकर नहीं चला जा सकता; संबंधित वैधानिक श्रेणी और आरोपों का परीक्षण आवश्यक है।

यह निर्णय दर्शाता है कि अफीम पोस्त की खेती से संबंधित प्रत्येक मामले में आरोप की प्रकृति, लागू दंडात्मक प्रावधान और उपलब्ध तथ्यों का पृथक परीक्षण किया जाना चाहिए।

8.3. हेम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2026)

सर्वोच्च न्यायालय ने *Hem Raj v. State of Himachal Pradesh* (2026 INSC 332) में धारा 29 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र को स्वतंत्र अपराध के रूप में समझाया। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र का अस्तित्व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र प्रायः गुप्त रूप से किए जाते हैं। निर्णय में धारा 25 और धारा 29 के अंतर्गत अपराधों की स्वतंत्र प्रकृति तथा दंड के प्रश्न पर भी विचार किया गया।

इस निर्णय का महत्त्व यह है कि धारा 29 को केवल मुख्य अपराध के साथ जोड़ा गया औपचारिक आरोप नहीं माना जा सकता। इसके आवश्यक तत्वों को साक्ष्य के आधार पर स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही घटना-क्रम से जुड़े अपराधों में दंड निर्धारित करते समय न्यायिक विवेक और दंड की समुचित व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए।

उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत वैध खेती, लाइसेंस की शर्तों, कथित उल्लंघन तथा षड्यंत्र के आरोपों का परीक्षण अलग-अलग विधिक आधारों पर किया जाना चाहिए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

9. दक्षिणी राजस्थान के अफीम कृषकों के समक्ष प्रमुख विधिक एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

दक्षिणी राजस्थान के कृषकों की समस्याओं का विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी कृषकों की परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं। लाइसेंस की पात्रता, भूमि की स्थिति, उत्पादन क्षमता तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधार पर उनके अनुभव अलग-अलग हो सकते हैं। उपलब्ध वैधानिक ढाँचे के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों की पहचान की जा सकती है।

9.1. लाइसेंस प्राप्ति एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया

अफीम पोस्त की खेती का लाइसेंस वार्षिक सरकारी नीति और निर्धारित पात्रता शर्तों पर निर्भर करता है। न्यूनतम निर्धारित उपज, पूर्ववर्ती फसल वर्ष की पात्रता तथा अन्य शर्तें किसानों के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं। यदि इन शर्तों की जानकारी समय पर और स्पष्ट रूप से उपलब्ध न हो, तो कृषकों को प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

9.2. भूमि एवं क्षेत्रफल से संबंधित विवाद

नियम 9 के अनुसार लाइसेंस में खेती का क्षेत्रफल और संबंधित भूखंड निर्दिष्ट किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संयुक्त स्वामित्व, पारिवारिक बँटवारा, राजस्व अभिलेखों में त्रुटियाँ तथा वास्तविक कब्जे की स्थिति कई बार जटिल हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में खेत के स्वामित्व, कब्जे और खेती के वास्तविक नियंत्रण का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है।

9.3. उत्पादन एवं उपज के समर्पण से संबंधित समस्याएँ

लाइसेंसधारी कृषकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्पादित अफीम अधिकृत सरकारी एजेंसी को जमा करनी होती है। उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता, तौल, मूल्यांकन तथा उपज के अभिलेखीकरण से जुड़े प्रश्न कृषकों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उचित अभिलेख व्यवस्था से विवादों को कम किया जा सकता है।

9.4. आपराधिक कार्यवाही एवं विधिक सहायता

एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के गंभीर दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए किसी कृषक के विरुद्ध आरोप लगाए जाने की स्थिति में उसे आरोप की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य तथा अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर विधिक सलाह प्राप्त करने की सुविधा सुनिश्चित करना न्याय तक पहुँच के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

9.5. सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

किसी कृषक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ होने पर उसकी आय, कृषि कार्य, परिवार तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। हालांकि इन प्रभावों की वास्तविक प्रकृति और व्यापकता का आकलन प्राथमिक क्षेत्रीय अनुसंधान के माध्यम से ही किया जा सकता है। अतः इन्हें सभी कृषकों की समान समस्या मानना उचित नहीं होगा।

10. विश्लेषण एवं चर्चा (Analysis and Discussion)

अध्ययन से यह विधिक तथ्य सामने आता है कि भारत में अफीम पोस्त की खेती पर प्रतिबंध और उसकी लाइसेंसधारी अनुमति, दोनों ही एक ही वैधानिक ढाँचे के हिस्से हैं। धारा 8 का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है, जबकि नियम 5 से 9 के माध्यम से वैध खेती को निर्धारित शर्तों के अधीन संचालित किया जाता है। इसलिए प्रशासनिक कार्यवाही में वैध लाइसेंस और कथित उल्लंघन के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक है।

दूसरी ओर, धारा 29 का प्रयोग करते समय दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों का परीक्षण अनिवार्य है। किसी व्यक्ति की सामाजिक निकटता, पारिवारिक संबंध या सामान्य संपर्क को अपने आप आपराधिक षड्यंत्र का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। अभियोजन का दायित्व है कि वह संबंधित व्यक्ति की भूमिका और अपराध से उसके संबंध को साक्ष्य के आधार पर स्थापित करे।

दक्षिणी राजस्थान के संदर्भ में प्रशासनिक पारदर्शिता का विशेष महत्त्व है। कृषकों को वार्षिक लाइसेंस नीति, पात्रता शर्तों, न्यूनतम निर्धारित उपज तथा अन्य दायित्वों की जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही, लाइसेंस संबंधी निर्णयों के कारणों को लिखित रूप में उपलब्ध कराना और निर्धारित अपील प्रक्रिया की जानकारी देना भी आवश्यक है।

इस प्रकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन एवं व्यापार पर नियंत्रण के साथ-साथ वैध कृषकों के अधिकारों तथा आजीविका संबंधी हितों का भी ध्यान रखा जाए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

11. प्रमुख निष्कर्ष (Major Findings)

इस विधिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं—

1. एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8 में निषेध के साथ चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए वैधानिक अनुमति की व्यवस्था भी निहित है।
2. एनडीपीएस नियम, 1985 के नियम 5, 8 एवं 9 अफीम पोस्त की लाइसेंसधारी खेती के नियमन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. लाइसेंसधारी कृषक की विधिक स्थिति का निर्धारण उसके लाइसेंस, निर्धारित क्षेत्रफल, लागू सरकारी नीति तथा संबंधित शर्तों के आधार पर किया जाना चाहिए।
4. धारा 29 के अंतर्गत दुष्प्रेरण अथवा आपराधिक षड्यंत्र का आरोप आवश्यक विधिक तत्वों और साक्ष्यों के आधार पर ही स्थापित किया जाना चाहिए।
5. भूमि अभिलेख, वास्तविक कब्जा, लाइसेंस दस्तावेज तथा उत्पादन संबंधी रिकॉर्ड की निष्पक्ष जाँच विवादों के समाधान में महत्त्वपूर्ण है।
6. पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया, समय पर विधिक सहायता और स्पष्ट दिशा-निर्देश वैध कृषकों की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं।

12. सुझाव एवं नीतिगत उपाय (Suggestions and Policy Measures)

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. **लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता:** लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण, पात्रता तथा अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट और सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2. **कृषक जागरूकता कार्यक्रम:** केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो तथा संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा कृषकों के लिए नियमित विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
3. **भूमि अभिलेखों का सत्यापन:** लाइसेंस जारी करने से पहले संबंधित भूमि अभिलेख, वास्तविक कब्जा और भूखंड की स्थिति का उचित सत्यापन किया जाना चाहिए।
4. **उत्पादन एवं तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता:** उपज के मूल्यांकन, तौल तथा सरकारी समर्पण की प्रक्रिया में स्पष्ट रिकॉर्ड और शिकायत निवारण व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

5. **निष्पक्ष जाँच:** धारा 29 के अंतर्गत आरोप लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति की भूमिका, ज्ञान, मंशा तथा उपलब्ध साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए।
6. **प्रभावी अपील व्यवस्था:** लाइसेंस संबंधी प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध उपलब्ध अपील और शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक पात्र कृषक को दी जानी चाहिए।
7. **विधिक सहायता:** आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों को आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

13. अध्ययन की सीमाएँ (Limitations of the Study)

प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विधिक अध्ययन है। इसमें दक्षिणी राजस्थान के पाँच जिलों के कृषकों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रश्नावली या क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से प्राथमिक आँकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। इसलिए कृषकों की आय, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई सांख्यिकीय निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अफीम की खेती से संबंधित लाइसेंसिंग शर्तें प्रत्येक फसल वर्ष की सरकारी नीति के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं। अतः किसी विशिष्ट फसल वर्ष के कृषकों की पात्रता अथवा लाइसेंस संबंधी स्थिति का निर्धारण उस वर्ष की लागू अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए।

14. निष्कर्ष (Conclusion)

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 भारत में मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण विधिक साधन है। इसकी धारा 8 निषिद्ध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, जबकि धारा 29 दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का आधार प्रदान करती है। इसके साथ ही, अधिनियम और एनडीपीएस नियमों के अंतर्गत अफीम पोस्त की लाइसेंसधारी खेती की अनुमति भी उपलब्ध है।

दक्षिणी राजस्थान के अफीम कृषकों के संदर्भ में इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब वैध खेती और अवैध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए। लाइसेंस की शर्तों, भूमि अभिलेखों तथा उत्पादन संबंधी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 29 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र अथवा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

दुष्प्रेरण का आरोप केवल अनुमान या सामान्य सामाजिक संबंधों के आधार पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

अंततः, मादक पदार्थों पर नियंत्रण और कृषकों के वैधानिक अधिकारों का संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी उद्देश्य नहीं हैं। पारदर्शी लाइसेंस व्यवस्था, उत्तरदायी प्रशासन, निष्पक्ष जाँच तथा सुलभ विधिक सहायता के माध्यम से दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यही दृष्टिकोण दक्षिणी राजस्थान के लाइसेंसधारी अफीम कृषकों के लिए अधिक न्यायसंगत और प्रभावी विधिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक हो सकता है।

संदर्भ सूची (References)

क. अधिनियम, नियम एवं संवैधानिक दस्तावेज

1. भारत सरकार। (1950). भारत का संविधान। विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

2. भारत सरकार। (1985). स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61, 1985)। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

3. भारत सरकार। (1985). स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985। वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार।

4. भारत सरकार। (1988). स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

5. भारत सरकार। (2014). स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

6. भारत सरकार। (1987). विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

ख. सरकारी नीतियाँ एवं आधिकारिक दस्तावेज

7. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। (विभिन्न वर्ष)। अफीम पोस्त की वैध खेती के लिए लाइसेंसिंग नीतियाँ एवं अधिसूचनाएँ। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो—लाइसेंसिंग नीति।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, November 2026 Impact Factor: 8.2

8. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। (2025). फसल वर्ष 2025–26 के लिए अफीम पोस्त की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

9. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष)। लाइसेंसधारी अफीम खेती। भारत सरकार।

ग. अंतरराष्ट्रीय अभिसमय

10. संयुक्त राष्ट्र संघ। (1961). स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961। संयुक्त राष्ट्र संघ।

11. संयुक्त राष्ट्र संघ। (1988). स्वापक औषधियों एवं मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988। संयुक्त राष्ट्र संघ।

घ. न्यायिक निर्णय

12. भेरू लाल बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 5 मार्च 2002, RLW 2003 ।

13. नूर आगा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, सर्वोच्च न्यायालय, (2008) 16 SCC 417।

14. राजस्थान राज्य बनाम भेरू लाल, सर्वोच्च न्यायालय, (2013) 11 SCC 730।

15. केरल राज्य बनाम राजेश, सर्वोच्च न्यायालय, (2020) 12 SCC 36।

16. गुमान सिंह बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, 2024:RJ-JD:23635, निर्णय दिनांक 23 मई 2024।

17. हेम राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, सर्वोच्च न्यायालय, 2026 INSC 332, निर्णय दिनांक 8 अप्रैल 2026।